फाइल नं0-71-1002(002)/23/2022

107/2022/।/221235/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 03 अक्टूबर, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/931, दिनांक 19.05.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-95/2022/।/196136/2022-71-1002(002)/23/2022, दिनांक 29.07.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी। उक्त शासनादेश दिनांक 29.07.2022 में मेडिकल कालेज, जालौन के उपकरणों की सूची संलग्न नहीं है।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 19.05.2022 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज, मेरठ, आजमगढ़ एवं बदायूँ हेतु हाई वैल्यू उपकरणों की सूची (संलग्नक-1) तथा राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु उपकरणों की सूची (संलग्नक-2) निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- **उक्त उपकरणों का क्रय शासनादेश संख्या-95/2022/।/196136/2022-71-1002(002)/23/2022, दिनांक 29.07.2022 द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कालेज को अवमुक्त धनराशि से किया जायेगा। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

2- **उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेशसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तारदयित्व प्रधानाचार्य का होगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- **उपकरणों की गुणवत्ता, मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।**

4- **उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।**

5- **उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

6- **डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।**

7- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

8- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 50.00 लाख क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।**

9- **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**13 / 2022/ **बी-**1-454/**दस-**2022-231/2022, **दिनांक-**07-**जून** 2022 **में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

10- **सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।**

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ **बी-**1-454/**दस-**2022-231/2022, **दिनांक** 07-**जून** 2022 **में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज, मेरठ, आजमगढ़, बदायूँ एवं जालौन।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज, मेरठ, आजमगढ़, बदायूँ एवं जालौन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, मेरठ, आजमगढ़, बदायूँ एवं जालौन।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक (1) हाई वैल्यू उपकरण-

राजकीय मेडिकल कालेज , प्रयागराज

S.No.	Name of Department	Name of Equipment	Qunatity	Estimated Cost (in Lac)
3	Old Payment	MRI Machine (Custom Duty part payment)	1	49.56

राजकीय मेडिकल कालेज , मेरठ

S.No.	Name of Department	Name of Equipment	Qunatity	Estimated Cost (in Lac)
1	Ophthalmology	High Definition OCT angiography (OCTA) with printer with UPS	1	67.89

राजकीय मेडिकल कालेज , आजमगढ़

S.No.	Name of Department	Name of Equipment	Qunatity	Estimated Cost (in Lac)
1	Surgery	Laproscopy Set	1	30
2	Surgery	Cystoscope & Resestoscope Set	1	30
3	Pharmacolgy	CAL (Computer assisted Learning Lab)	1	25
4	Anesthesia	Potable Colour doppler USG Machine	1	25

राजकीय मेडिकल कालेज , बदायूँ

S.No.	Name of Department	Name of Equipment	Qunatity	Estimated Cost (in Lac)
1	ENT	Surgical Operating Microscope for ENT	1	30

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

संलग्नक-2 राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन (उरई) उपकरण

राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन (उरई)			
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानक मद- 26 मशीने और सज्जा / उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि			
उपकरण का नाम	क्रय की जाने वाली मात्रा	उपकरण का अनुमानित मूल्य 5 वर्ष वारंटी व 5 सी 0 एम् 0 सी 0 के साथ (प्रति नग)	उपकरण का अनुमानित मूल्य 5 वर्ष वारंटी व 5 सी 0 एम् 0 सी 0 के साथ (कुल धनराशि)
3	4	5	6
BIOFEED BACK MACHINE	1	10,00,000.00	10,00,000.00
NST /CTG/ FETAL MONITOR	2	6,50,000.00	13,00,000.00
MECHANICAL CPR SYSTEM	1	25,00,000.00	25,00,000.00
REAGENT BASE ABG MACHINE	1	6,00,000.00	6,00,000.00
5 PARA MONITOR	10	1,55,000.00	15,50,000.00
SUCTION MACHINE	5	51,800.00	2,59,000.00
DEFIBRILATOR	1	5,00,000.00	5,00,000.00
WHOLE BODY MANIQUINE	1	16,00,000.00	16,00,000.00
PENTA HEAD RESEARCH MICROSCOPE	1	10,00,000.00	10,00,000.00
AIRWAY MANAGEMENT TRAINER WITH BRONCHOSCOPE	1	3,00,000.00	3,00,000.00
OVER BED TABLE	40	5,000.00	2,00,000.00
STRECHER	22	10,000.00	2,20,000.00
MORTUARY COOLER (4 BODY SET)	1	8,21,000.00	8,21,000.00
CRYOSTAT MICROTOME	1	10,00,000.00	10,00,000.00
COAGULOMETER	1		4,00,000.00

http://shasanadesh.up.nic.in

		4,00,000.00	
ECT WITH EEG MONITORING	1	10,00,000.00	10,00,000.00
HRV SYSTEMS	1	10,00,000.00	10,00,000.00
DENTAL CHAIR	1	5,00,000.00	5,00,000.00
OPG XRAY MACHINE	1	15,00,000.00	15,00,000.00
DIGITAL SPIROMETER	1	6,00,000.00	6,00,000.00
DIGITAL PHYSIOGRAPHS	1	4,00,000.00	4,00,000.00
BINOCULAR COMPOUND MICROSCOPE	5	60,000.00	3,00,000.00
PROJECTOR WITH SCREEN	5	1,00,000.00	5,00,000.00
SHORT WAVE THEARMY	1	1,00,000.00	1,00,000.00
LONG WAVE DIA THEARMY	1	1,00,000.00	1,00,000.00
ULTRASONIC	1	1,00,000.00	1,00,000.00
IFT	1	1,00,000.00	1,00,000.00
CPM KNEE	1	1,00,000.00	1,00,000.00
LAZER	1	2,00,000.00	2,00,000.00
HYDRO CULATOR	1	50,000.00	50,000.00
TENS FOUR CHANNEL	1	50,000.00	50,000.00
ICE THERAPY	1	30,000.00	30,000.00
TRAD MEAL	1	1,00,000.00	1,00,000.00
PHYSIO BALL	1	10,000.00	10,000.00
PEG BOARD	1	10,000.00	10,000.00
			2,00,00,000.00

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in